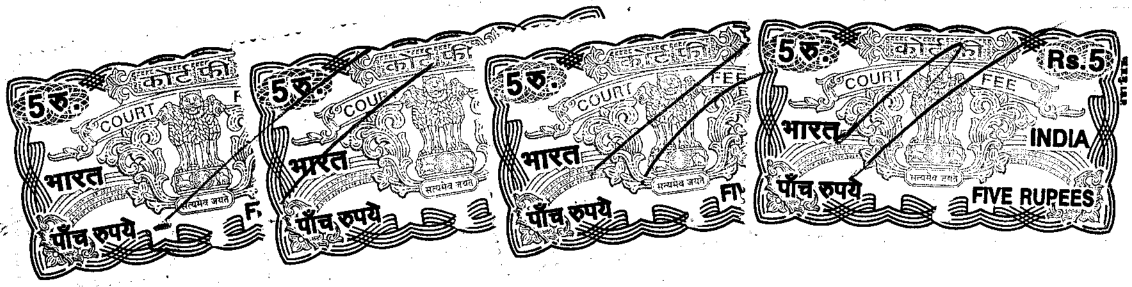

न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्र.   /2015 निगरानी

1. सुरेश पिता प्यारेलाल आयु 55 वर्ष व्यवसाय कृषि
2. धर्मसिंह पिता देवीलाल आयु 55 वर्ष धंधा कृषि
3. वीरचन्द्र पिता कन्हैयालाल आयु 52 वर्ष धंधा कृषि

समस्त निवासीगण ग्राम अरण्डिया तहसील अवंतिपुर बड़ोदिया जिला शाजापुर .....आवेदक

विरूद्ध

बाबूलाल पिता प्यारेलाल आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम अरण्डिया तहसील अवंतिपुर बड़ोदिया जिला शाजापुर

.....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

माननीय महोदय

आवेदकगण अधीक्षक भू-अभिलेख जिला शाजापुर के द्वारा जनसुनवाई के आदेश पर कार्यालयीन आदेश क्र. /678/भू.अ./सा/2015 में दिनांक 20.05.2015 को किये गये सीमांकन से असंतुष्ट होकर निगरानी अंदर अवधि में प्रस्तुत करता हैः-

1. यह कि, आवेदक क्र. 1 एवं अनावेदक बाबूलाल आपस में सगे भाई होकर एक ही परिवार के है एवं दोनों ही ग्राम अरण्डिया के कृषक एवं निवासी भी है।

2. यह कि, अनावेदक द्वारा जनसुनवाई में एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम अरण्डिया की भूमि सर्वे क्र.104/1 व 105/1 रकबा 0.523 हेक्टर का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके पालन में अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा टी.एस.एम. मशीन द्वारा भूमि का सीमांकन किया गया।

3. यह कि, सीमांकन अनुसार आवेदक के कब्जे में अनावेदक की भूमि रकबा 0.010 जो कि सर्वे क्र. 105/1 की दक्षिण दिशा में है उस पर अनावेदक का कब्जा बताया गया एवं सर्वे क्र. 106/5 की भूमि पर आवेदक सुरेश का कब्जा 0.010 पर बताया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2780–तीन/2015 जिला शाजापुर

सुरेश आदि विरूद्ध बाबूलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–10–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीक्ष भू–अभिलेख जिला शाजापुर के कार्यालयीन आदेश कांक 678/भू.अ./सा/2015 में पारित आदेश दिनांक 20–5–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलब्ध विचाराधीन आदेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि अनावेदक बाबूलाल द्वारा दिनांक 12–5–15 को स्वयं की भूमि के सीमांकन के संबंध में कलेक्टर को जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया। प्रभारी अधिकारी जनसुनवाई के पत्र कमांक 351 दिनांक 12–5–15 के कम में अधीक्षक भू–अभिलेख शाजापुर ने दिनांक 15–5–15 को श्री आर0डी0 ओझा सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख के नेतृत्व में जिसमें राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 शुजालपुर एवं हल्का पटवारी ग्राम अरण्डिया के साथ दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु दिनांक 20–5–15 को किये जाने के आदेश दिये। अधीक्षक भू–अभिलेख के आदेश के कमांक दिनांक 20–5–15 को उक्त सीमांकन दल द्वारा पडोसी कृषकों को विधिवत सूचना उपरांत सीमांकन की कार्यवाही टी.एस.एम. मशीन के द्वारा	

एम. मशीन के द्वारा सीमांकन कार्यवाही संपादित कर दिनांक 6–6–15 को प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रेषित किया। उक्त दस्तावेजों में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। आवेदक द्वारा अधीक्षक भू–अभिलेख के आदेश दिनांक 20–5–15 को चुनौती दी गई है उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रकट हो सके कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या अनियमितता की गई है। आवेदकगण द्वारा याचिका के साथ स्वयं के भूमिस्वामित्व के खसरे की प्रति एवं नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे आवेदकगण के हितबद्ध होना प्रमाणित हो सके। उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का औचित्य नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर